

क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम – नियमित टीकाकरण

बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर)

ASHA Incentive for full Immunization के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संबंध में ।
एफ०एम०आर० कोड संख्या – C.5.a

बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): पार्ट – सी.

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

यह राशि आशा के प्रोत्साहन राशि हेतु व्यय किया जायेगा, जो नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक वर्ष तक के बच्चे का टीकाकरण अर्थात् एक डोज बी.सी.जी., 3 डोज ओपी.वी., 3 डोज डी.पी.टी., 3 डोज हेपटायटिस बी एवं एक डोज खसरा का टीका एक वर्ष के अन्तर्गत लगवा दिये जाने पर 100/- रु० प्रति बच्चा की दर से राशि देय होगा ।

इकाई राशि (रु० में)

100/- रु. प्रति बच्चा ।

वित्तीय दिशा निर्देश

एक बच्चा को एक वर्ष के अन्दर देय टीकों यथा एक डोज बी.सी.जी., 3 डोज ओपी.वी., 3 डोज डी.पी.टी., 3 डोज हेपटायटिस बी एवं एक डोज खसरा का टीका लगवा दिये जाने के पश्चात् एक मुश्त दिया जाना है । यह राशि पूर्व में दिये जा रहे प्रोत्साहन राशि के जैसे सी.1 एच. में आंवटित राशि के अतिरिक्त आशा को किसी बच्चे को एक वर्ष के अन्दर विभिन्न टीकों के दिये जाने के दौरान देय होगा । जिसकी पूर्ण विवरणी एम.सी.एच. पंजी एवं एम.सी.पी. कार्ड में उल्लेखित होनी चाहिए ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)
(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम

डा.नरेन्द्र कुमार सिंहा, राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर : 9470003014 / 0612-2290351

१३/७/१३

राम

क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम – नियमित टीकाकरण

बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर)

ASHA Incentive for full Immunization के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संबंध में।
एफ०एम०आर० कोड संख्या – C.5.b

बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर): पार्ट – सी.

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

यह राशि आशा को अतिरिक्त मानदेय के रूप में 50/- रु० प्रति बच्चा की दर से वैसे आशा को देय होगा जो 2 वर्ष तक के बच्चों को लगने वाले सभी प्रकार के टीके यथा वैसा बच्चा जिन्हें एक वर्ष तक लगने वाले सभी टीकों के साथ डी.पी.टी. एवं ओ.पी.वी. बूस्टर के टीके एवं जिन जगहों पर जापानी इंसेफलायटिस एवं खसरा का द्वितीय खुराक Applicable हो उन्हें यह राशि प्रदान की जायेगी।

इकाई राशि (रु० में)

50/- रु. प्रति बच्चा।

वित्तीय दिशा निर्देश

एक बच्चा को 2 वर्ष तक लगने वाले सभी प्रकार के टीके यथा: एक वर्ष के बच्चा को लगने वाले सभी टीकों के साथ डी.पी.टी. एवं ओ.पी.वी. बूस्टर के टीके एवं जिन जगहों पर जापानी इंसेफलायटिस एवं खसरा का द्वितीय खुराक Applicable हो उन्हें यह राशि प्रदान की जायेगी। यह राशि पूर्व में दिये जा रहे प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त आशा को किसी बच्चे का पूर्ण टीकाकरण हो जाने के पश्चात् ही देय होगा। जिसकी पूर्ण विवरणी एम.सी.एच. पंजी एवं एम.सी.एच कार्ड में उल्लेखित होनी चाहिए।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) (ख) (ग)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम

डा.नरेन्द्र कुमार सिंहा, राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर :

9470003014 / 0612-2290351

13/7/13

राम

४८